


आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम पकवाडा के खता नं. 815 खसरा नं. में आवेदन

पत्र अनुसार खुमान प्रसाद सांगू के बजाय धनुमान प्रसाद सेनी प्रसाद सांगू को अधिकार देने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति गिजावाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र

न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम भा.भा.सु.प. 1/15 पत्र नं. पकवाडा में दिनांक 13/10/15

को मजमेआम में सुनाया गया।



पकवाडा
फागी